

प्रेस नोट

दिनांक 15.09.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 22 पाउच अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार को किया गया गिरफ्तार—

घटना/कार्यवाही—

दिनांक 14.09.2026 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को 22 पाउच नगीना पौवा अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. ओम प्रकाश उर्फ राम बच्चन पुत्र दशरथ, निवासी ग्राम खटकमडीह पूरे पण्डित वृन्दावन, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—326/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 22 पाउच नगीना पौवा अवैध देशी शराब, प्रत्येक पाउच 200 एमएल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01. उ0नि0 राम विलास यादव
02. हे0का0 पवन यादव
03. हे0का0 कुशहर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.09.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रुपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.07.2022 को थाना कोतवाली नगर पर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके निवासी पंतनगर फोरबिसगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी।

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना को0 नगर में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहररिं म0का0 वंदना व थाना को0 नगर के पैरोकार का0 रॉयल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 15.09.2026 को दोषी अभियुक्त सलमान उर्फ गोलू को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण—

01. सलमान उर्फ गोलू पुत्र इशरार अली उर्फ ननके नि0 पंतनगर फोरबिसगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण—

01. मु0अ0सं0— 444/2022 धारा 457,354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.09.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट व छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रुपये 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2018 को थाना को0 देहात पर महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़ के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तगण जमील पुत्र चिरहू व चिरहू पुत्र स्व0 कादिर के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई थी।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में थाना को0 देहात में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह, कोर्ट मोहर्रर का0 अरुण वर्मा व थाना को0 देहात के पैरोकार का0 विशाल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 15.09.2026 को दोषी अभियुक्त जमील पुत्र चिरहू को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीशश्री मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. जमील पुत्र चिरहू नि0 समदा काजी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 201/2018 धारा 323,354(ख),342,325,308 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।